श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26.05.2016 को संपन्न अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक 26.05.2016 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/पटना नगर निगम के चारों अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद/महाप्रबंधक, बुडको/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/परियोजना प्रबंधक, ब्रेडा एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

2. पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय हुआ था कि पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में बिहार नगरपालिका अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला नियंत्रण कक्ष में Dedicated मजिस्ट्रेट/पुलिस बल की व्यवस्था कराने का निर्देश जिला दंडाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक को दी गयी थी, जिसका उपयोग नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा प्रभावी तरीके से किया जाएगा।

इस संबंध में विभाग के स्तर से जिला पदाधिकारी/वरीय आरक्षी अधीक्षक को पत्र भेजा जाय। **श्री भरत झा, निदेशक, नगरपालिका प्रशासन इसका समुचित समन्वय सुनिश्चित करेंगे।**

3. **पथ निर्माण विभाग से संबंधित मुद्दे (प्रतिनिधि अनुपस्थित) :–**

3.1 पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक एवं अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की पिछली बैठकों में निर्देश दिया गया था कि बरसात से पूर्व शनिचरा में निर्माणाधीन आर०सी०सी० पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाय।

कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया पुल निर्माण का कार्य धीमा है, जिसे पूर्ण होने में अभी लगभग तीन–चार माह का समय लगने की संभावना है।

इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से सचिव, पथ निर्माण विभाग को पत्र भेजा जाय। यह अतिआवश्यक है कि निर्माण कार्य तीव्र गति से हो ताकि बरसात के समय इस क्षेत्र में जलजलाव की समस्या नहीं हो। **विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग इसे सुनिश्चित करेंगे।**

3.2 पटना शहरी क्षेत्रांतर्गत अवस्थित पथों के सौंदर्यीकरण के संबंध में पिछली बैठक में कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी अंचल, पथ प्रमंडल द्वारा बताया गया था कि पथ निर्माण विभाग द्वारा इस हेतु डी०पी०आर० बनाकर तकनीकी स्वीकृति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजी जा रही है।

इनके द्वारा यह भी बताया गया कि पथ निर्माण विभाग द्वारा कंकड़बाग रोड, गायत्री मंदिर रोड, अशोक राजपथ एवं गाँधी मैदान के चारो ओर रोड बाइडेनिंग के कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। फुटपाथ, डिवाईडर पर ग्रिल एवं पौधे लगाने हेतु निधि की माँग की जा रही है। यह बताया गया कि पटना उच्च न्यायालय के निकट, वर्तमान में कार्यान्वित लोहिया पथ चक्र योजना के पूर्ण होने के बाद इसके सौंदर्यीकरण की योजना बनायी जाएगी।

3.3 शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले पथांसों में पथों की चौड़ाई बढ़ाने, फुटपाथ का निर्माण, स्ट्रीट लाईट, डिवाईडर, ग्रीन बेल्ट, साईकिलिंग ट्रैक, पार्किंग आदि का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा Urban Road Policy का प्रारूप तैयार करके पथ निर्माण विभाग को भेजी गयी है।

पथ निर्माण विभाग से अपेक्षा है कि इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाय।

3.4 पिछली बैठक में बुडको के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया था कि पटना शहर के 09 मुख्य Out fall drain से संबंधित डी०पी०आर० बुडको द्वारा बनाये जा रहे है। सैदपुर नाला एवं सर्पेन्टाईन नाला का Feasibility Report तैयार हो गया है।

निर्देश दिया गया कि Feasibility Report एवं डी०पी०आर० बनाने के क्रम में नाले की सफाई के संबंध में भी योजना बना ली जाय और कितनी दूरी पर Opening छोड़ा जाएगा, वह भी परियोजना में शामिल हो।

3.5 पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि बैरिया में प्रस्तावित नये बस स्टैण्ड तथा रामचक बैरिया अवस्थित पम्पिंग यार्ड एवं पटना–गया रोड को वैकल्पिक पथ उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से नंदलाल छपरा से बादशाही पईन होते हुए बैरिया बस स्टैण्ड तक एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा।

इस संबंध में पिछली बैठक में कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी अंचल, पथ प्रमंडल द्वारा कोई जानकारी नहीं उपलब्ध करायी गयी। पथ निर्माण विभाग से अपेक्षा है कि इस संबंध में शीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाइ की जाय।

3.6 पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में इस पर स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ था कि फ्लाईओवरों के नीचे पार्किंग स्थलों का प्रबंधन, पथ निर्माण विभाग द्वारा अथवा पटना नगर निगम द्वारा किया जाएगा।

इस संबंध में विचारण हेतु पिछली बैठक में एक टीम गठित करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें पथ निर्माण विभाग के अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के अभियंता तथा पटना नगर निगम के अभियंता रहेंगे। यह समिति एक माह के अंदर पार्किंग हेतु योजना तैयार करेगी। **विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग इसे सुनिश्चित करेंगे**।

बेली रोड फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग के प्रबंधन के मामले पर निर्णय हेतु संचिका प्रधान सचिव के समक्ष उपस्थापित करने का निर्देश पिछली बैठक में दिया गया था। **विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग इसे सुनिश्चित करेंगे**।

3.7 पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में यह भी निर्णय हुआ था कि मीठापुर से नंदलाल छपरा के बीच NHAI द्वारा बनाये जा रहे नाले के निर्माण कार्य में तेजी लायी जाय।

बैठक में बताया गया कि इसके निर्माण कार्य की गति काफी धीमी है। इस संबंध में सचिव, पथ निर्माण विभाग को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्र भेजने हेतु निर्देश पिछली बैठक में दिया गया था। **विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग इसे सुनिश्चित करेंगे**।

4. <u>जल संसाधन विभाग से संबंधित मुद्दे</u> :–

4.1 पिछली बैठक में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया था कि नंदलाल छपरा मोहल्ला में NH 30 से जो नाला प्रवेश करता है, उस नाले के प्रवेश बिन्दु पर एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा सामुदायिक भवन एवं कुछ दुकानें बनायी गयी हैं। इसके सटे ही मात्र 5 फीट चौड़ा जलप्रवाह क्षेत्र का नाला बनाया जा रहा है। स्पष्टतः इस प्रस्तावित संकीर्ण नाला से पटना में जलजमाव की अत्यंत भीषण समस्या उत्पन्न होगी।

बैठक में उपस्थित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि ग्रामीणों द्वारा सामुदायिक भवन एवं दुकानें बनायी गयी है एवं इसके निकट डूडा–1, पटना द्वारा कल्वर्ट बनाया जा रहा है।

बैठक में नंदलाल छपरा मोहल्ला में NH 30 के निकट नाले के प्रवेश बिन्दु पर अतिक्रमण प्रतिवेदित हुई। बैठक के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ कि अभी तक अतिक्रमित जमीन की मापी नहीं हो पायी है कि वस्तुतः वह नाला की जमीन है। यदि जमीन नाला की है तो Revenue Map में नाला अंकित होगा अथवा नाला निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहित किया गया होगा। कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल इस अतिक्रमित जमीन की Revenue Map से मिलान एवं नाला के जमीन की मापी एक सप्ताह के अंदर कर लें। आवश्यकतानुसार अंचल कार्यालय का भी सहयोग लिया जाय। यदि सामुदायिक भवन या दुकान अतिक्रमण करके बनाया गया है तो अतिक्रमणवाद दायर करके, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाय।

साथ ही यह आँकलन किया जाना आवश्यक है कि जो कल्वर्ट डूडा द्वारा बनाये जा रहे हैं, उसका डिस्चार्ज कैपिसिटी स्ट्रॉग ड्रेनेज लायक हैं, यदि नहीं हैं तो उसे तोड़कर अन्य कल्वर्ट बनाया जाय। स्पष्टतः संबंधित अभियंता का दायित्व था कि एरिया का ध्यान रखते हुए कल्वर्ट बनाया जाता। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण माँगा जाय। **<u>विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग इसे सुनिश्चित करेंगे</u>**।

पिछली बैठक में कल्वर्ट के डिस्चार्ज क्षमता के आँकलन हेतु मुख्य अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गयी थी, जिसमें कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम, कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग एवं कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल सदस्य थे, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि समिति स्थल निरीक्षण करके, 5 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने एवं कल्वर्ट के डिजाईन पर अंतिम निर्णय लेंगी। इस समिति का जाँच प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। यह समिति 5 दिनों के अंदर प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **<u>मुख्य अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण इसे सुनिश्चित करेंगे</u>**।

4.2 पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में तथा अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की पिछली बैठक में बादशाही नाला, जो जल संसाधन विभाग की परिसम्पत्ति है, के 17 स्थानों पर अतिक्रमण की बात आयी थी। पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया गया था कि बादशाही नाला को अतिक्रमण मुक्त करके, मॉनसून के पूर्व उड़ाही कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

बैठक में उपस्थित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि नाले की सफाई हेतु निविदा आमंत्रित किया जा चुका है। निविदा की अंतिम तिथि 30 मई, 2016 है। नाले की सफाई के क्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। **<u>कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि वे इसका समुचित अनुश्रवण करेंगे</u>**।

कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल द्वारा बताया गया कि पूर्व में जल संसाधन विभाग द्वारा बादशाही नाले की सफाई पहाड़ी से नंदलाल छपरा तक किया जाता रहा है, लेकिन इस बार बादशाही नाले की सफाई नंदलाल छपरा से बेऊर तक भी किया जा रहा है, जिसकी निविदा भी प्रकाशित कर दी गयी है।

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग से अनुरोध किया गया कि वे नाले की सफाई के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे ताकि स्थल निरीक्षण किया जा सके।

4.3 पहाड़ी से लेकर पुनपुन तक खनबा नाले के अतिक्रमण के संबंध में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि उसमें अतिक्रमण नहीं है और पानी का बहाव ठीक है। इसकी सफाई हेतु भी निविदा प्रकाशित कर दी गयी है।

5. ऊर्जा विभाग से संबंधित मुद्दे :–

5.1 बैठक में ब्रेडा के परियोजना प्रबंधक एवं energy consultant उपस्थित हुए। इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ब्रेडा द्वारा शहर के कई पथों पर स्ट्रीट लाईट लगाये गये हैं।

इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि कई स्थानों पर स्ट्रीट लाईट खराब पड़े हुए हैं और इसके रखरखाव की कोई उचित व्यवस्था नहीं है।

बैठक में ब्रेडा के परियोजना प्रबंधक द्वारा शहर में अधिष्ठापित स्ट्रीट लाईट की सूची उपलब्ध करायी गयी। निर्देश दिया गया कि यह सूची पटना नगर निगम के चारों अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारियों को भेज दी जाय।

ब्रेडा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि स्ट्रीट लाईट के खराब होने पर नागरिकों द्वारा दूरभाष सं० 0612–2507734 पर Complain दर्ज कराया जा सकता है। प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाती है।

6. बुडको से संबंधित मुद्दे :–

6.1 बुडको द्वारा बेल्ट्रॉन के माध्यम से Intelligent Traffic Management System एवं CCTV की व्यवस्था की गयी है। बुडको द्वारा पूर्व में 97 स्थानों पर ट्रॉफिक लाईट की योजना के विरूद्ध 65 स्थानों पर ट्रॉफिक लाईट की व्यवस्था की गयी है एवं इस हेतु कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा ट्रॉफिक लाईट हेतु 65 स्थानों की सूची ही उपलब्ध करायी गयी थी।

निर्देश दिया गया कि यदि अन्य और स्थानों पर ट्रॉफिक लाईट लगाने की आवश्यकता हो तो प्रमंडलीय आयुक्त से स्थानों की सूची प्राप्त की जाय। **इस संबंध में प्रबंध निदेशक, बुडको अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे**।

बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि बेली रोड के फलाईओवर पर ट्रॉफिक लाईट की कंट्रोल रूम से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। **प्रमंडलीय आयुक्त इस संबंध में अपने स्तर पर समन्वय करके अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे**।

कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि CCTV का कार्य गृह विभाग द्वारा बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जा रहा है एवं इस हेतु बुडको द्वारा पूर्व में किये गये कार्य से संबंधित सभी Input बेल्ट्रॉन को उपलब्ध करा दिये गये हैं।

6.2 गंगा नदी में पटना शहर से गिरने वाले सभी नाले के पानी का ट्रीटमेंट कराने के बाद ही नदी में मिले, इस हेतु आवश्यक संरचना बनाने हेतु बुडको को निर्देशित किया गया था।

महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि इसके डी०पी०आर० बनाने हेतु कंसल्टेंट का चयन किया गया है।

निर्देश दिया गया कि नमामि गंगे के अंतर्गत बनाये जा रहे डी०पी०आर० की जानकारी प्राप्त की जाय और उसके गाईडलाईन को भी देख लें ताकि यथासंभव गाईडलाईन के तहत कार्रवाई हो।

6.3 महाप्रबंधक (टेक्निकल), बुडको द्वारा बताया गया कि पटना जलापूर्ति योजना एवं दानापुर जलापूर्ति योजना का मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु संलेख नगर विकास एवं आवास विभाग में भेजा गया है एवं मुजफ्फरपुर जलापूर्ति योजना का संलेख तैयार किया जा रहा है।

निर्देश दिया गया कि मुजफ्फरपुर जलापूर्ति योजना का संलेख तैयार करके एक सप्ताह के अंदर विभाग में उपलब्ध कराया जाय।

6.4 रामचक बैरिया में अपशिष्ट से ऊर्जा प्लांट के निर्माण हेतु लैंडफिल साईट के लिए पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति दी गयी थी, परन्तु इसके हस्तांतरण से पूर्व SEIAA से NOC प्राप्त करना आवश्यक है। साथ ही लैंडफिल साईट के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत निर्देश के अनुरूप बुडको द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि रामचक बैरिया में अंदर के लिंक रोड का निर्माण कार्य, बरसात से पूर्व हर हालत में पूर्ण कर लेना आवश्यक है अन्यथा कूड़ा डंप करने में कठिनाई होगी। **इस संबंध में प्रबंध निदेशक, बुडको अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र करेंगे**।

6.5 महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपकरणों के क्रय के लिए उपकरणवार बुडको द्वारा निर्धारित की गयी दर की तुलना, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के परिप्रेक्ष्य में DGS&D की दरों के साथ तुलना करके, तुलनात्मक विवरणी विभाग में भेज दिया गया है।

निर्देश दिया गया कि तुलनात्मक विवरणी प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु संचिका में उपस्थापित की जाय। **श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक इसे सुनिश्चित करेंगे**।

6.6 गाँधी मैदान के सौदर्यीकरण के लिए तैयार किये गये संशोधित डी०पी०आर० को प्रधान सचिव के स्तर से प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल को पुनः प्रेषित की जाय।

निर्देश दिया गया कि प्रमंडलीय आयुक्त का मंतव्य प्राप्त कर शीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाई पूर्ण की जाय।

6.7 प्रतिवेदित किया गया कि रेलवे स्टेशन से मल्टीलेवल पार्किंग तक एलीवेटर लगाने की योजना के संबंध में बुडको तथा रेलवे के पदाधिकारी के साथ बैठक हो गयी है एवं NOC प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

निर्देश दिया गया कि वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु संचिका बुडको द्वारा प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु दो दिनों के अंदर उपस्थापित की जाय।

6.8 बुडको के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की जयन्ती समारोह के उपलक्ष्य में पटना सिटी में स्ट्रीट लाईट, हाईमास्ट लाईट लगाने की योजना बुडको द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को भेज दी गयी है।

इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय। **विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग इसे सुनिश्चित करेंगे**।

6.9 कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि बुडको द्वारा निर्माणाधीन एस०पी० वर्मा रोड पंप हाऊस से मंदिरी नाला के Outfall drain का कार्य अत्यंत धीमा चल रहा है। यदि बरसात के पूर्व कार्य पूर्ण नहीं होता है तो रेलवे स्टेशन के समीप भीषण जलजमाव होने की संभावना है।

निर्देश दिया गया कि इस संबंध में प्रबंध निदेशक, बुडको अपने स्तर पर बैठक करके, प्रतिदिन के आधार पर निर्माण कार्य का अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

7. बिहार राज्य जल पर्षद से संबंधित मुद्दे :–

7.1 मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अशोक नगर, कंकड़बाग मिनी सम्प हाऊस, मीठापुर करबिगहिया नाला निर्माण एवं सैदपुर ड्रेनेज के सुदृढ़ीकरण हेतु डी०पी०आर० बनाकर स्वीकृति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग में भेज दिया गया है।

इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय। **श्री अजय कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, बुडा इसे सुनिश्चित करेंगे**।

7.2 मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि मीठापुर से नंदलाल छपरा तक न्यू बाईपास के निकट नाला के निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा लगभग ढाई वर्ष पूर्व ही NHAI को राशि हस्तांतरित की गयी है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण नहीं हो पाया है।

निर्देश दिया गया कि नाले का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु विभाग स्तर से सचिव, पथ निर्माण विभाग को पत्र भेजा जाय। **विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग इसे सुनिश्चित करेंगे**।

7.3 मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के निरीक्षण के क्रम में प्रतिवेदित हुआ था कि नगर निगम एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की योजना मिलाकर नगर निगम क्षेत्र में शत–प्रतिशत जलापूर्ति आच्छादित हो रही है, लेकिन सभी घरों में कनेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

निर्देश दिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्यान्वित योजना को पूर्ण होने के उपरांत बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा शेष बची योजना को कार्यान्वित किया जाय। इसे AMRUT योजना में आच्छादित करने हेतु संचिका में उपस्थापित किया जाय। **श्री नीरज सक्सेना, कार्यपालक अभियंता, बुडा इसे सुनिश्चित करेंगे**।

7.4 AMRUT योजना के डी०पी०आर० के Appraisal हेतु मुख्य अभियंता, बुडा की अध्यक्षता में एक टीम गठित की जाती है, जिसमें श्री नीरज सक्सेना, कार्यपालक अभियंता एवं महाप्रबंधक (टेक्निकल), बुडको सदस्य रहेंगे।

7.5 बेऊर से मीठापुर, करबिगहिया से मीठापुर एवं मीठापुर से नंदलाल छपरा के ड्रेनेज का प्रारूप डी०पी०आर० बनाकर स्वीकृति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग में भेज दिया गया है।

इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय। **श्री अजय कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, बुडा इसे सुनिश्चित करेंगे**।

7.6 पिछली बैठक में कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी अंचल, पटना प्रमंडल द्वारा बताया गया कि रोड कटिंग का कार्य आधुनिक तकनीक Micro tunmelling के माध्यम से किया जाना श्रेयष्कर है।

इस पर मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि इस तकनीक के उपयोग में काफी खर्च है।

पिछली बैठक में निर्देश दिया गया था कि बुडको द्वारा इस संबंध में Comporational Cost Analysis करके, प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाय, जिससे रोड कटिंग इत्ययादि भी Coundin किया जाए। इससे संबंधित प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं हो पाया है। **एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा उपलब्ध कराया जाय।**

7.7 मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा AMRUT योजना के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि 14 में से 9 शहरों के योजना की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

निर्देश दिया गया कि शेष 5 शहरों के योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शीघ्र विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

8. पटना नगर निगम से संबंधित मुद्दे :–

8.1 पटना शहर में अधिकाँश सार्वजनिक शौचालयों का उचित संधारण नहीं हो रहा है, जिसमें कई ऐसे शौचालय हैं, जिनका बंदोबस्ती नहीं है। कई ऐसे डिलक्स शौचालय हैं, जिनकी बंदोबस्ती की अवधि समाप्त हो गयी है।

निर्देश दिया गया कि नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, ऐसे शौचालयों के संधारण हेतु, अपने स्तर पर समीक्षा करके एवं समुचित संधारण की व्यवस्था करके, अधोहस्ताक्षरी के अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

8.2 निर्देश दिया गया कि अन्य विभागों एवं एजेंसियों से संबंधित सभी बिन्दुओं पर यथोचित समन्वय एवं सहयोग सुनिश्चित किया जाय।

8.3 जलजमाव की समस्या के स्थायी निराकरण के लिए विभिन्न अंचलों में जो संरचनात्मक कमियाँ हैं, उसे दूर करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, संयुक्त रूप से विवरण नगर आयुक्त को समर्पित करें। वैसे संरचनात्मक कार्य, जो जरूरी हो, उन्हें नगर निगम के पास उपलब्ध संसाधनों से तत्काल स्वीकृत किया जाय।

8.4 शहर में उत्कृष्ट कोटि की सफाई व्यवस्था हो, इसे सुनिश्चित किया जाय। तदनुसार पटना नगर निगम के सभी कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद फुलवारी शरीफ, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद दानापुर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद खगौल को कड़ी मेहनत एवं अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

26/5/2016

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3360 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 27/5/16
प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

26/5/2016

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3360 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 27/5/16

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26/5/2016

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3360 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 27/5/16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/प्रबंधक निदेशक, ब्रेडा (ई०मेल breda@breda.in), पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/प्रबंध निदेशक, ब्रेडा, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर/खगौल/फुलवारी शरीफ/नूतन राजधानी अंचल/बाँकीपुर अंचल/कंकड़बाग अंचल/पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/20

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3360 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 27/5/16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/निदेशक, नगरपालिका प्रशासन–सह–संयुक्त सचिव/अपर सचिव/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक/मुख्य अभियंता, बुडा को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/5/2016

प्रधान सचिव